राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/मा.द./RAJKAJ-00997/2018–19 जयपुर, दिनांक : 26 JUN 2018

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त राजस्थान।

विषयः– **महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत श्रमिकों को फार्म नंबर 6 उपलब्ध करवाने की वैकल्पिक व्यवस्था बाबत।**

प्रसंग :– विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 24.01.2018 एवं 04.06.2012

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 (यथा संशोधित) के तहत अनुसूची 2 के बिन्दु संख्या 6 से 13 में रोजगार की मांग के संबंध में प्रावधान है। उक्त अनुसूची के पैरा 8 में निम्नानुसार वर्णित है :–

"Application for work can be oral or written and made to the Ward member or to the Gram Panchayat or to the Programme Officer or any person authorised by the State Government or through a telephone or mobile or Interactive Voice Response System or through a call centre or through web site or through a kiosk set up for this purpose or through any other means authorised by the State Government."

विभाग द्वारा प्रासंगिक पत्रों द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति के अतिरिक्त अन्य स्थानों से भी रोजगार मांग पत्र फार्म नंबर 6 उपलब्ध कराने एवं दिनांकित रसीद जारी करने हेतु निर्देशित किया गया है।

इस संबंध में निम्न बिन्दुओं की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है :–

- फार्म नंबर 6 की दिनांकित रसीद ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच, वार्ड पंच, ग्राम विकास अधिकारी (ग्राम सचिव), ग्राम रोजगार सहायक/कनिष्ठ सहायक द्वारा दी जावेगी। तद्नुसार 15 दिवस में ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार रोजगार उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
- आवेदन प्रपत्र सीधे ही कार्यक्रम अधिकारी को दिये जाने पर कार्यक्रम अधिकारी द्वारा दिनांकित रसीद आवेदनकर्ता को दी जावे एवं किन स्थितियों में आवेदन पत्र सीधे ही कार्यक्रम अधिकारी को दिये गये है, का उल्लेख करते हुए आवेदन पत्रों की प्रति अपने कार्यालय में रखते हुए मूल आवेदन ग्राम पंचायत को प्रेषित किए जावें। साथ ही मस्टररोल जारी करते समय यह सुनिश्चित करें कि आवेदनकर्ताओं को कार्य पर नियोजित किया गया है।
- जिला स्तर पर, जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं ब्लाक स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी अधिनियम के प्रावधानों को सुनिश्चित कराने हेतु प्राधिकृत अधिकारी है।

अतः जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं कार्यक्रम अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि अधिनियम की अनुसूची 2 के प्रावधानों के अनुरूप रोजगार की मांग करने वाले आवेदनकर्ताओं को दिनांकित प्राप्ति रसीद उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कराया जावे एवं प्रावधानों के उल्लघंनकर्ता पर नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित की जाये।

भवदीय,
(पी.सी.किशन)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, आयुक्त ईजीएस।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस समस्त राजस्थान।
3. विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी, नरेगा, पंचायत समिति समस्त राजस्थान।
4. रक्षित पत्रावली।

परि.निदे. एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस

Scanned by CamScanner